

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 381 / 2016 / चित्तौड़गढ़

मैसर्स स्टैण्डर्ड ओरगनो केमिकल्स प्रा.लि.,
कृष्णपुरा, तहसील-गंगरार, चित्तौड़गढ़
बनाम

.....अपीलार्थी.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड-1, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.सी.सोगानी,
अभिभाषक
श्री आर.के.अजमेरा,
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 11.05.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 18.11.2015 के विरुद्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) प्रस्तुत की गयी है, जिसमें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-प्रथम, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 23.09.2014 के जरिये आरोपित की गयी शास्ति रुपये 4,49,568/- की पुष्टि की गई है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि दिनांक 19.09.2014 को अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्मित माल को राज्य के बाहर कन्साइमेंट सेल हेतु भिजवाया जाना पाया जाने पर सशक्त अधिकारी द्वारा वाहन चालक से माल के दस्तावेज मांगे जाने पर माल से संबंधित चालान एवं बिल्टी दिनांक 16.09.2014 प्रस्तुत किये गये परन्तु वैट-नियम 2006 के नियम 54 के तहत जारी अधिसूचना अनुसार राज्य के बाहर कन्साइमेंट पर भेजे जाने वाले माल के साथ अनिवार्य घोषणा पत्र वैट-49 प्रस्तुत किया जाने का निर्देश दिये जाने पर वाहन चालक ने घोषणा पत्र नहीं होना बताया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के उक्त परिवहनित माल बिना घोषणा पत्र राज्य के बाहर भिजवाये जाने को अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन मानते हुये अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित किये जाने का नोटिस जारी किये जाने पर व्यवहारी द्वारा दिनांक 19.09.2014 को वैट-49ए ऑनलाइन जनरेट कर, कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश किया जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने मय जवाब अस्वीकार कर धारा 76(6) के तहत परिवहनित माल LABSA पर रुपये 4,49,568/- की शास्ति आरोपित



लगातार.....2


कर दी जिससे व्यथित होकर अपीलीय अधिकारी उदयपुर के समक्ष अपील की जाने पर अपीलार्थी की अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय स.वा.क.अ. बनाम आशियाना इस्पात (2010) 01 RTS TRD PAGE 14 के निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांत अनुसार अस्वीकार कर दी गई। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि व्यवसायी द्वारा प्रथम बार राज्य के बाहर कन्साइमेंट पर माल परिवहनित किया जा रहा था। परिवहनित माल के साथ वैट-49 न होने के कारण सशक्त अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर वैट-49 प्रस्तुत कर दिया गया था। उपर्युक्त आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को निरस्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि वक्त जांच के समय वैट-49ए नहीं होने के कारण सशक्त अधिकारी द्वारा किया गया शास्ति का आरोपण उचित है।

5. उभयपक्षीय बहस सुनी गई व रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी फर्म द्वारा माल का परिवहन राज्य के बाहर कन्साइमेंट सेल पर किया जा रहा था। जिसके लिये वैट नियम 54 में विहित प्रपत्र वैट-49 जारी कर परिवहन के दौरान संलग्न किया जाना अनिवार्य था। अपीलार्थी फर्म की ओर से कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष एवं अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिये गये कथनों में यह तर्क दिया गया था कि अपीलार्थी फर्म ने व्यवसाय में नया काम ही आरंभ किया था एवं अनभिज्ञता से घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया था एवं जांच के तुरन्त पश्चात विभाग से घोषणा पत्र प्राप्त कर कर निर्धारण अधिकारी को प्रेषित कर दिया गया था अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत M/s Cera Tech India Vs. ACTO Bhiwadi (2013) 35 TUD 49, ACTO Ward-II (FS) Alwar Vs. M/s Gannon Dukerley & co. Ltd. 36 TUD 222 एवं M/s ACTO Vs. DP Metal के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में शास्ति अपास्त करने का अनुरोध किया गया।


उक्त तथ्यों के आलोक में यह सिद्ध पाया गया कि परिवहन प्रारंभ होने एवं जांच होने तक अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विधि अनुसार अनिवार्य घोषणा पत्र वैट-49 विभाग से जारी नहीं करवाया था, जिससे घोषणा पत्र वैट 49 जांच के वक्त तक अस्तित्व में नहीं था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि परिवहन के दौरान जांच के समय यदि कोई दस्तावेज भूल से छूटे हुये रह जाते हैं तो उन छूटे हुये दस्तावेजों को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाने पर प्रस्तुत किये



जा सकते हैं परन्तु इस प्रकरण में अनिवार्य घोषणा पत्र वैट-49 परिवहन के पूर्व एवं जांच के वक्त तक भी अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्राप्त ही नहीं किया गया था एवं जांच अधिकारी द्वारा अभियोग बनाये जाने के पश्चात विभाग से घोषणा पत्र प्राप्त किया गया था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ACTO Vs. National Engineering Industries Limited 43 TUD Page 187 निर्णय दिनांक 22.08.2015 में यह अवधारित किया है कि यदि परिवहन में अनिवार्य घोषणा पत्र माल के प्रेषित करने से पूर्व व्यवहारी के पास उपलब्ध रहा हो तथा प्रथम उपलब्ध अवसर पर उसे प्रस्तुत कर दिया जाता है उस स्थिति में धारा 76(6) में शास्ति का आरोपण नहीं किया जा सकता परन्तु यदि जांच के समय तक कोई घोषणा पत्र अस्तित्व में ही नहीं हो उस स्थिति में जांच के पश्चात घोषणा पत्र प्राप्त कर के प्रस्तुत किया जाने पर उसे मान्यता नहीं दी जा सकती। माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वा.क.अ. 18 TUD PAGE 321 में यह निर्णित किया गया है कि ऐसे मामलों में दोषी मनोभाव स्थापित किये जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है बल्कि विधिक प्रावधानों की पालना किया जाना अनिवार्य है, निर्णित किया गया है। फलतः अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने में कोई त्रुटि नहीं होने से अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है। अपील अस्वीकार की जाती है।

7. उपरोक्तानुसार अवर अधिकारियों के आदेश की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।



(के.एल.जैन)
सदस्य